भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1863

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

मिशन वात्सल्य को बढ़ावा देना

1863. श्री बसवराज बोम्मई:

श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे:

श्री विजय कुमार दूबे:

श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

श्रीमती स्मिता उदय वाघ:

श्री भर्तृहरि महताब:

श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:

श्री पी. सी. मोहन:

श्रीमती हिमाद्री सिंह:

श्री प्रदीप कुमार सिंह:

श्री बिप्लब कुमार देव:

डॉ. संजय जायसवाल:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :-

(क) सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत विशेषकर महाराष्ट्र में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने बच्चे पंजीकृत हैं;

(ग) इस मिशन के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत किए गए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) मिशन के अंतर्गत अब तक आवंटित और व्यय की गई निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) : मिशन वात्सल्य योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है जिसे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) को सेवाएं प्रदान करने हेतु कार्यान्वित किया जाता है। इसमें संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और पर्वतीय राज्यों - हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधि साझाकरण पद्धति 60:40 के अनुपात में है, जहां साझा करने की लागत अनुपात 90:10 है। बिना विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों में लागत 100% केंद्र सरकार वहन करती है।
मिशन वात्सल्य योजना को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

मंत्रालय ने समय-समय पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मिशन वात्सल्य के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश तथा परामर्श जारी किए हैं। इनमें मिशन वात्सल्य दिशा-निर्देश, चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, आदर्श पालन-पोषण देखरेख दिशा-निर्देश, 2024 इत्यादि शामिल हैं।

मिशन वात्सल्य योजना की शुरुआत के बाद से मंत्रालय ने योजना को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने और इसके कार्यान्वयन करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन और जागरूकता/प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की हैं। यह मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क भी करता है।

मिशन वात्सल्य योजना के तहत की गई पहलों में "संवाद" (कमजोर परिस्थितियों और संकट में बच्चों के लिए समर्थन,एडवोकेसी एवं मानसिक स्वास्थ्य क्रियाकलाप) के तहत राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहंस), बैंगलोर के साथ सहयोग शामिल है। संवाद मानसिक स्वास्थ्य, देखरेख और संरक्षण, शिक्षा तथा नीति एवं कानून के क्षेत्रों में काम करता है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में बाल संरक्षण कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

इसके अलावा मंत्रालय ने लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), मसूरी के सहयोग से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है ताकि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिला प्राधिकरणों जैसे अन्य कई हितधारकों की क्षमता निर्माण किया जा सके।

(ख) : वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र सहित मिशन वात्सल्य योजना के तहत संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख में सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ग) : मिशन वात्सल्य योजना वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रभावी है और इसके दिशा-निर्देश राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किए गए हैं। पूववर्ती बाल संरक्षण सेवा योजना को मिशन वात्सल्य योजना में शामिल कर लिया गया था। इससे पहले इसके स्थान पर एकीकृत बाल संरक्षण योजना कार्यान्वित थी। मिशन वात्सल्य योजना में शामिल किए गए परिवर्तनों में योजना के सभी घटकों में लागत मानदंडों में वृद्धि शामिल है। गैर-संस्थागत देखरेख (प्रायोजन, पालन-पोषण देखरेख और पश्चात देखरेख), रखरखाव अनुदान और बाल देखरेख संस्थानों के लिए निर्माण अनुदान के लिए मानदंडों को बढ़ाया गया है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सहित सदस्यों के मानदेय/पारिश्रमिक में भी वृद्धि की गई।

(घ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत कुल 2882.90 करोड़ रुपये जारी किए गए तथा 1515.30 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया।

अनुलग्नक

मिशन वात्सल्य को बढ़ावा देने के संबंध में श्री बसवराज बोम्मई, श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे, श्री विजय कुमार दुबे, श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, श्रीमती स्मिता उदय वाघ, श्री भर्तृहरि महताब, श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही, श्री पी.सी. मोहन, श्रीमती हिमाद्री सिंह, श्री प्रदीप कुमार सिंह, श्री बिप्लब कुमार देब और डॉ. संजय जायसवाल द्वारा दिनांक 02.08.2024 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 1863 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र सहित मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख में सहायता प्राप्त बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं..	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थागत देखरेख में सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या	गैर-संस्थागत देखरेख में सहायता प्राप्त बच्चों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	1546	10000
2	अरुणाचल प्रदेश	206	1719
3	असम	1241	1919
4	बिहार	2227	4001
5	छत्तीसगढ़	1843	1137
6	गोवा	461	62
7	गुजरात	3195	450
8	हरियाणा	963	643
9	हिमाचल प्रदेश	926	1352
10	जम्मू और कश्मीर	1104	4024
11	झारखंड	1238	4629
12	कर्नाटक	3110	12449
13	केरल	776	1455
14	मध्य प्रदेश	2597	13715
15	महाराष्ट्र	3495	21680
16	मणिपुर	2295	1288
17	मेघालय	1031	1083
18	मिजोरम	1172	1516
19	नागालैंड	562	779

20	ओडिशा	4431	3697
21	पंजाब	533	4150
22	राजस्थान	2733	933
23	सिक्किम	468	460
24	तमिलनाडु	10118	5411
25	तेलंगाना	2243	4858
26	त्रिपुरा	948	1373
27	उत्तर प्रदेश	3226	10000
28	उत्तराखंड	589	1817
29	पश्चिम बंगाल	4744	2750
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	274	1
31	चंडीगढ़	222	309
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	36	984
33	लद्दाख	84	411
34	लक्षद्वीप	0	0
35	दिल्ली	1216	635
36	पुद्दुचेरी	739	171
कुल		**62592**	**121861**

*****